प्रेस नोट

दिनांक 03.11.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः—

घटना का संक्षिप्त विवरण —

दिनांक 29.08.2026 को थाना इटियाथोक क्षेत्रांर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

दिनांक 02.11.2026 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता की तलाश एवं पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता एक युवक के साथ रेलवे स्टेशन तिराहा, गोण्डा के पास मौजूद है। सूचना पर उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह तत्काल मौके पर पहुंचे तथा युवक एवं युवती को अलग-अलग रोककर पूछताछ की। युवती की पहचान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए उसके साथ मौजूद युवक गोपी कश्यप को गिरफ्तार किया गया। अपहृता को महिला पुलिसकर्मी की सुपुर्दगी में चिकित्सीय परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु वन स्टॉप सेंटर, गोण्डा भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- गोपी कश्यप पुत्र सोहनलाल कश्यप निवासी ग्राम इमिलिया गुरूदयाल, नियर न्यू गल्ला मण्डी, वडगाँव, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 302/2026 धारा 137(2),87 बीएनएस, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

.1उ0नि0 राजेश कुमार
.2का0 अंकित यादव
.3म0का0 सौम्या वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.11.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल डण्डा बरामद-

कार्यवाही-

दिनांक 02-11-2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 413/2026 धारा 191(2), 103(1), 190, 191(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र फैसल सिंह निवासी ग्राम रेक्सडिया सरपंचपुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को गोण्डा कचेहरी गेट के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अदद आलाकत्ल डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विनोद कुमार साहनी पुत्र अतारू लाल निवासी ग्राम रेक्सडिया, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 09.09.2026 की रात्रि में वह अपनी बर्तन की दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में विपक्षीगण द्वारा उन्हें रोककर धारदार हथियार एवं भाले आदि से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को बेहतर उपचार हेतु केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र फैसल सिंह निवासी ग्राम रेक्सडिया सरपंचपुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 413/2026 धारा 191(2), 103(1), 190, 191(3) बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद आलाकत्ल डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय, थाना परसपुर।
2. उ0नि0 अवनीश यादव।
3. का0 योगेन्द्र यादव।
4. हे0का0 अमरनाथ चौधरी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.11.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की गई पानी की मोटर बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.11.2026 को रात्रि करीब 08:30 बजे ग्राम रघुनाथपुर निवासी मिथुन सिंह पुत्र राम फेर सिंह के खेत में लगी पानी की मोटर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। वादी द्वारा मोटर की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि चोरी की गई मोटर गांव के ही मनमोहन सिंह पुत्र विश्राम सिंह के घर पर रखी हुई है। इस पर वादी अपने साथ गांव के अन्य व्यक्तियों को लेकर अभियुक्त के घर पहुंचा, जहां घर के सामने बनी कुरिया में चोरी की गई मोटर बरामद हुई।

कार्यवाही-

दिनांक 03.11.2026 को वादी मिथुन सिंह एवं उनके साथ आए ग्रामीणों द्वारा अभियुक्त मनमोहन सिंह को चोरी की गई मोटर सहित पकड़कर थाना नवाबगंज लाया गया। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध मु0अ0सं0-370/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनमोहन सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-370/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद चोरी की पानी की मोटर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नवाबगंज पुलिस टीम, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.11.2026

आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में गोण्डा पुलिस ने प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान-

गोण्डा। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के मामले में अक्टूबर माह की शासन द्वारा जारी रैंकिंग में गोण्डा पुलिस ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकभवन द्वारा प्रतिमाह आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा एवं शिकायतकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रदेश के सभी जनपदों की रैंकिंग जारी की जाती है। शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने पर संबंधित प्रार्थना पत्र डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे में समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के आधार पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित होती है। गोण्डा पुलिस द्वारा जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के फलस्वरूप यह उपलब्धि हासिल की गई है। इस अवसर पर जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों के कार्यों की सराहना की गई। साथ ही आईजीआरएस सेल प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी एवं उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए इसी प्रकार मेहनत एवं लगन से कार्य करने हेतु उत्साहवर्धन किया गया।

आईजीआरएस सेल की टीम का विवरण-

1. आईजीआरएस प्रभारी श्री उत्कर्ष पाण्डेय
2. आ0 वी0पी0 कुमार
3. आ0 राम नरेश
4. आ0 बृजेश
5. म0आ0 शिखा वर्मा
6. म0आ0 प्रीति
7. म0आ0 नैंसी गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03-11-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 12 वर्ष का कारावास व 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी त्रिवेणी प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी लक्ष्मणपुर जाट, गोसाईंपुरवा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात मे लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री विवाह वर्ष 2015 में वीरवल पुत्र पूरनमल निवासी ग्राम ठकुरापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति वीरवल-, जेठ मलखान, ससुर पूरनमल एवं सुमन पत्नी परागदीन द्वारा अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज एवं कूलर की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके साथ मारपीट की जाती थी। वर्ष 2020 में ससुराल पक्ष द्वारा पूजा के साथ मारपीट कर उसे मायके छोड़ दिया गया था। इसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 23.07.2020 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद महिला थाना में पंचायत एवं सुलह ता होने पर लगभग दो माह पूर्व पूजा को पुनः ससुराल भेजा गया था। दिनांक-16.10.2021 को प्रातः करीब 04:00 बजे विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर पूजा के साथ मारपीट की गई तथा कपड़े से उसका गला कसकर उसे मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया गया। इसके बाद उसे डॉपाण्डेय नर्सिंग होम में भर्ती कराकर विपक्षीगण वहां से चले गए .एन.ओ ., जहां उपचार के दौरान उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात मे सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, डीजीसी श्री बसंत शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 मार्कण्डेय सिंह व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 अतुल सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 03-11-2026 को दोषी अभियुक्त बीरबल को सेशन जज श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष का कारावास व रूपये 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यो के अभाव में मलखान व पूरनमल को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. बीरबल पुत्र पूरनमल उर्फ पूरन निवासी ग्राम ठकुरापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- 388/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.11.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 914/2026, 949/2026 एवं 886/2026 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **गंगेश पुत्र बोधर उर्फ राधेश्याम गोस्वामी, निवासी ग्राम ठकुरापुर मौजा डीहा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा** को मुखबिर खास की सूचना पर नरायनपुर मर्दन जाने वाली रोड पर पीपल के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं घटित हुई थीं, जिनके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 914/2026, मु0अ0सं0 949/2026 एवं मु0अ0सं0 886/2026 धारा 305(e), 331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए थे। विवेचना के दौरान अभियुक्त गंगेश गोस्वामी द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं में सहयोग किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- गंगेश पुत्र बोधर उर्फ राधेश्याम गोस्वामी, निवासी ग्राम ठकुरापुर मौजा डीहा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 914/2026 धारा 305(e), 331(4), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 949/2026 धारा 305(e), 331(4), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 886/2026 धारा 305(e), 331(4), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शमशेर खां
2. उ0नि0 राज कुमार सिंह
3. उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला
4. कां0 सुमित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।